

16/05/18

पंजावली भाज न्याय कायदे कार मंत्रालय-

2018 केम्प डोट गाम पंचायत प्याडा मालमिंद
 में रप्यी गई प्राथी कडोल उपरिमत। विप्राथीगिण
 वाकजुड लामिल मनुउपारिमत। प्राथी के मधिक्त्ला
 की एउपझीय बरहम तुनी गई प्राथी के मधिक्त्ला
 ने बालामा की प्राथी को कपने प्यालेडारी येती के
 चारों मीट पक्के नेधम तमापित उवाने कावशकु
 हो इललिह प्राथी को नेधमकनी कावेडन स्वीकार
 किमा जाडर नेधमकनी कावेड किमा जावे।
 मतः प्राथी को प्राथना-पत्र स्वीकार
 किमा जाडर तहमीलगत गिडु को डमिशानर नियुक्त
 किमा जाला है व कावेड किमा जाला है वि कप
 स्वमं या कपने मधिक्त्ला किमी भी मूकमलिक्त्ला
 निरिहड ले प्राथी के प्यालेडारी येती की कपकी
 नेधमकनी मीडे पर डमिशानर कुल्ड जमाड(19)
 डरे पालना रिपोर्ट जाला होने पर शामिल पंजावली
 हो पंजावली जेमल कुमार हो, डज नाम्बर है डम
 हो ट्रायल इक्तर हो।


 सहायक कलक्टर (SDO)
 बायडु



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, खारड़ा भारतसिंह)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 221
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 16/05/2018
विप्रार्थीगण

1. श्रीमती खम्मादेवी पत्नी जेहाराम
जाति-जाट निवासी-खारड़ा भारतसिंह,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री चौखाराम पुत्र फुसाराम वगैरा 16,
जातियान्-जाट, निवासीयान्-खारड़ा
भारतसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 109/18

आदेश

मौजा खारड़ा भारतसिंह पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह के खेत खसरा नम्बर 556/303 रकबा 39.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थनी से प्रार्थनी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से, प्रार्थनी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 222-26
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमती खम्मादेवी पत्नी जेहाराम।
4. विप्रार्थी श्री चौखाराम पुत्र फुसाराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 16/05/2018
बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बायतु